However, export quotas totalling 12.20 lakh bales of cotton have been released to various State Cooperative Marketing Federations and other agencies, including the private ginners/trade during the current cotton season (1996-97), as on date. Of this quantity, quota of 4.10 lakh bales have been allotted to various State Federations/Corporations, besides another 4.65 lakh bales allotted to CCI and NAFED.

(d) During the 1996-97 season, till 26/12/96, the Maharashtra State Cooperation Cotton Growers Marketing Federation Ltd. have been allotted an export quota of 1 lakh bales. The Federation has requested for release of a further export quota of two lakh bales of cotton. Allocations are considered only after taking into account all relevant factors.

सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेले

2701. **श्री रामजीलाल:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) इन मेलों में भाग लेने के लिए शिल्पकारों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ग) इन मेलों में अर्जित कुल आय को आयोजकों और शिल्पकारों में किस प्रकार वितरित किया जाता है; और

(घ) ऐसे मेलों के आयोजनों से इन शिल्पकारों और आयोजकों ने कितना-कितना लाभ अर्जित किया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) सरकार प्रतिवर्ष लगभग 60 हस्तशिल्प मेले आयोजित करती है।

(ख) इन मेलों में भाग लेने वाले शिल्पियों का चयन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार की गई कारीगरों की सूची के आधार पर किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेताओं, श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालों, लुप्तप्रायः शिल्पों में कार्यरत शिल्पियों, वृद्ध तथा महिला शिल्पियों और समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित शिल्पियों को वरीयता दी जाती है। सामान्यतः एक बार चयनित शिल्पकार को अगले तीन वर्षों तक दूसरा अवसर नहीं दिया जाता।

(ग) और (घ) इन मेलों का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना है और उनके द्वारा उपार्जित आय का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सरकार को इन मेलों से कोई आय नहीं होती।

वस्त्र उद्योग से वसूल की गई बिजली की दरों में अन्तर

2702. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा और गुजरात में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वसूल की जाने वाली बिजली दरों में अत्यधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और क्या त्रिपुरा और गुजरात में बुनकरों को महंगी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत दर से अलग दर राज्य में बुनकरों से वसूल की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) से (घ) विद्युत प्रभार लगाने से संबंधित मामला राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड का विषय है। वस्त्र मंत्रालय ने विद्युतकरघा बुनकरों पर लगाये जाने वाले कोई विशेष विद्युत प्रभारों को निर्धारित नहीं किया है।

गुजरात कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना

2703. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना को दीर्घावधि विस्तार प्रदान करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस पर शीघ्र निर्णय करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या है?